प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.04.2026

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 01 मोटर साइकिल व 2 मोबाइल फोन बरामद

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 10.04.2026 को शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि0 के दौरान फैक्ट्री एरिया मे मानव बीयर फैक्ट्री से बर्फ फैक्ट्री तिराहे की तरफ के पास ही एस-10 कंपनी के सामने मोटरसाइकिल पर दो लडके आते दिखाई दिए। जिन्हे रोकने हेतू टार्च से इशारा किया तो तुरंत मोटरसाइकिल पीछे मोडकर भागने का प्रयास किया तो हडबडाहट में मोटरसाइकिल फिसलकर रोड के किनारे गिर गई। जिसके बाद अभियुक्त आदित्य पुत्र अनिल नि0 ग्राम बसावा थाना पिलुआ जिला एटा हाल पता मकान किराया प्रेम सिंह यादव बम्हेटा थाना वेव सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को बर्फ फैक्ट्री के पास चौकी औद्योगिक क्षेत्र कविनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त आदित्य ने पूछताछ में बताया कि मैने यह मोटरसाइकिल अपने भाई के साथ मिलकर शहीद नगर साहिबाबाद से 4-5 दिन पहले चोरी की थी ।इससे पहले भी मै अपने भाई के साथ अन्य मोटरसाइकिलो की चोरी कर चुका हु। जो मोटरसाइकिल हम चोरी करते है उन्हे बेचने के लिए अपने एक साथी को दे देते है जो हमें चोरी की हुई मोटरसाइकिल बेच कर हमे पैसे दे देता है। मेरा साथी संजय नगर मे रहता है , जो पूर्व मे मेरे भाई के साथ जेल जा चुका है। ग्राहक मिलने पर इनको हम अपनी मजबूरी बताकर बेच देते हैं। आज भी मैं इसी प्रकार की घटना कारित करने जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. आदित्य पुत्र अनिल नि0 ग्राम बसावा थाना पिलुआ जिला एटा हाल पता मकान किराया प्रेम सिंह यादव बम्हेटा थाना वेव सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 20 बर्ष

बरामदगी

1. एक मोटर साईकिल रजि0 न0 DL5SCB4068
2. 02 मोबाईल फोन (1 SAMSUNG काले रंग का, 2 OPPO स्पार्किलिंग ग्रीन)

आपराधिक इतिहास

आदित्य उपरोक्त के विरुद्ध कमि0 गाजियाबाद में 01 चोरी, 01 बरादमगी का मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना कविनगर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 08.04.2026 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कविनगर पर अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। आज दिनांक 10.04.2026 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त हर्षित उर्फ आयुष पुत्र कमलेश कुशवाहा निवासी टीटू चौधरी के मकान में किराये पर खारा कुँआ रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष मूल निवासी गांव मिर्जापुर लखोटिया थाना ककवल जनपद कानपुर देहात को बी-ब्लॉक कट शास्त्री नगर चौकी क्षेत्र शास्त्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त हर्षित से पूछताछ की गयी तो में बताया कि साहब दिनांक 08/09/2026 को मैंने वादी की पुत्री को अपने कमरे में बुलाया था मुझसे गलती हो गई थी उसी दिन से मै घर से चला गया आज मैं गाजियाबाद छोड़कर बाहर जा रहा था तभी आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया

अभियुक्त का नाम पता-

हर्षित उर्फ आयुष पुत्र कमलेश कुशवाहा निवासी टीटू चौधरी के मकान में किराये पर खारा कुँआ रजापुर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष मूल निवासी गांव मिर्जापुर लखोटिया थाना ककवल जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.04.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित कर हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 80(2)/85/3(5) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.04.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहम्मद नफीश पुत्र नबाव मलिक निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरोली जिला बागपत उम्र करीब 27 वर्ष हाल निवासी कंचन पार्क मुखिया गेट बागराणप थाना लोनी गाजियाबाद को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त मोहम्मद नफीस ने बताया कि मेरी शादी करीब 06 वर्ष पूर्व शमा परवीन से हुई थी। मैं और मेरे परिजन शादी के दिन से ही शमा परवीन के परिवार वालो से शादी में दहेज कम देने को लेकर नाखुश थे तथा हम लोगों ने शमा परवीन उपरोक्त के परिवार वालो से एक कार व 05 लाख रूपये दहेज में मांगे थे जोकि उन लोगों के द्वारा नही दिये गये थे इसी बात को लेकर दिनांक 03.04.2026 को

हमने शमा परवीन को मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित किया था जिससे गुस्से में आकर उसके द्वारा फाँसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहम्मद नफीस पुत्र नबाव मलिक निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरोली जिला बागपत उम्र करीब 27 वर्ष हाल निवासी कंचन पार्क मुखिया गेट बागराणप थाना लोनी गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का आयशर कैंटर सहित 7940 किलोग्राम लोहे का सामान (लोहे की प्लेट, गरारी व रोलर) बरामद।

दिनांक 04.04.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की फैक्ट्री प्रीत ब्रदर्स लिमिटेड के बाहर से लोहे से भरे वाहन को चोरी कर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की तलाश/ गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.04.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त वसीम पुत्र ताहिर निवासी निठौरा रोड़ रेलवे अंडरपास के पास सहारा सिटी कॉलोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्र टीला मोड़ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी का आयशर कैंटर वाहन मय लोहे के सामान सहित बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व साक्ष्य संकलन के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त वसीम ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पहले प्रीत ब्रदर्स लिमिटेड फैक्ट्री में गाड़ी चलाता था। फैक्ट्री के मालिक ने मुझे लगभग 08 महीने पहले फैक्ट्री से निकाल दिया था। मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था, दिनांक 03/04/2026 की रात्रि को मैं अपने दोस्त मोनू पुत्र शाहिद निवासी अमन गार्डन लोनी जनपद गाजियाबाद के साथ प्रीत ब्रदर्स लिमिटेड फैक्ट्री के बाहर गया और मैंने देखा कि फैक्ट्री के बाहर लोहे से भरी हुई आयशर कैंटर खड़ा है, कैंटर में लॉक नही था। हम दोनों के मन में लालच आ गया। मैंने अपने दोस्त मोनू को गाड़ी में बैठाया तथा लोहे से भरे कैंटर को लेकर भाग गया आज मैं तथा मेरा दोस्त मोनू चोरी का आयशर कैंटर लेकर पुलिस से छिपते-छिपाते माल को बेचने की

फिराक में थे। हम दोनों लोहे को दिल्ली कबाड़ी बाजार में बेचने व कैंटर को कटवाने के लिए ले जाने की फिराक में थे कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मेरा दोस्त मोनू दूर से ही पुलिस को देखकर कैंटर से कूदकर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र ताहिर निवासी निठौरा रोड़ रेलवे अंडरपास के पास सहारा सिटी कॉलोनी थाना लोनी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र शाहिद निवासी अमन गार्डन लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का आयशर कैंटर सहित 7940 किलोग्राम लोहे का सामान (लोहे की प्लेट, गरारी व रोलर) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त वसीम के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, थाना कोतवाली बागपत पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष का कठोर कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्रीमती प्रतिमा त्यागी तत्कालीन थाना विजयनगर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार बखरवा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना विजयनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 376/377 भादवि व 5/6 पोक्सो अधि0 में अभियुक्त अरुण कुमार सिन्हा पुत्र स्व0 कुन्द देव प्रसाद सिंह निवासी सी-1532 फोर्थ

एवेन्यू गौर सिटी वन, नोएडा एक्सटेन्शन थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-02, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 10.04.2026 को धारा- 5(ड) पॉक्सो अधि0 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 02 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 12.01.2016 को थाना विजयनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में गाजियाबाद पुलिस द्वारा नशा मुक्त एवं अवैध हथियार मुक्त गाजियाबाद बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत आज दिनांक 10.04.2026 को श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के पर्यवेक्षण/नेतृत्व में ग्रामीण जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओ को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा उन्हे नशे और अवैध गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। ऑपरेशन प्रहार केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध है जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी व हथियारों की तस्करी को रोकना भी है।

"थाना मोदीनगर क्षेत्रांतर्गत दयावती मोदी पब्लिक स्कूल और गाजियाबाद पुलिस का संयुक्त प्रयास: ऑपरेशन प्रहार बना जागरूकता का मंच"

- दयावती मोदी पब्लिक स्कूल कैंपस, मोदीनगर में 'ऑपरेशन प्रहार' के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और अवैध हथियारों के खिलाफ जन-जागरूकता फैलाना तथा युवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में **श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण,** श्री भास्कर वर्मा सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर, थाना प्रभारी मोदीनगर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। पुलिस अधिकारियों ने अपने वास्तविक अनुभवों के माध्यम से छात्रों को अपराध के दुष्परिणामों और उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया।
- इस अवसर पर **श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण** ने अपने संबोधन में युवाओं को नशे और अपराध से दूर रहने तथा समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया तथा अपने

अनुभव साझा करते हुए छात्रों को कानून व्यवस्था, सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूक नागरिक बनने के महत्व के बारे में प्रेरित किया।

- थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत **ग्रीन आइकॉन पब्लिक स्कूल** में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गयी और बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, भविष्य और समाज के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रेरित करना और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से बचाना था।
- थाना लोनी पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गयी और बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, भविष्य और समाज के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रेरित करना और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से बचाना था।
- थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत **डी0पी0डब्लू0एस0 स्कूल** में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गयी और बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, भविष्य और समाज के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रेरित करना और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से बचाना था।
- थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत **विकास कुन्ज गोशालवरा मस्जिद के पास सार्वजनिक स्थान पर, सेवा धाम विद्या मन्दिर, ज्ञान गंगा इण्टर कॉलेज** में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें आमजन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गयी और बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, भविष्य और समाज के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रेरित करना और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से बचाना था।
- थाना भोजपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत **आदर्श जनता इण्टर कॉलेज** में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गयी और बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, भविष्य और समाज के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रेरित करना और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से बचाना था।
- थाना मसूरी पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत **इकरा पब्लिक स्कूल नाहल** में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गयी और बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, भविष्य और समाज के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रेरित करना और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से बचाना था।

- थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत **बाबा इण्टरनेशनल स्कूल** में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील की गयी और बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, भविष्य और समाज के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सही दिशा में प्रेरित करना और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से बचाना था।

"नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसके भविष्य और समाज की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करता है। युवाओं से अपील है कि वे नशे और अवैध हथियारों से दूरी बनाये रखें और समाज में सकारात्मक योगदान दें।"

कार्यक्रमों के मुख्य बिन्दु-

- इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छोटी छोटी कहानियों रहीं जिसके माध्यम से छात्रों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों तथा अवैध हथियारों के खतरों के बारे में जागरूक किया गया।
- युवाओं को अवगत कराया गया कि नशे का व्यापार करने वाले व अवैध शस्त्र रखने वालों के बारे में पुलिस को सुचित करें सूचना देने वाले के नाम को गोपनीय रखा जायेगा, इसलिए डरे नहीं एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं।
- युवाओं को अवैध शस्त्रों के सम्बन्ध में बताया गया कि आपके पास सबसे बड़ा शस्त्र आपकी कलम है इस कलम के माध्यम से कोई भी जंग जीता जा सकता है अवैध शस्त्र से आप स्वयं सलाखों के पिछे जाने का खतरा है।

  "REAL POWER LIVES IN PEN NOT IN PISTOL"

  इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को जागरूक करने के लिए विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किये और बताया कि गाजियाबाद पुलिस लगातार नशे के कारोबारियों एवं अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। आपरेशन प्रहार इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जिसका उद्देश्य गाजियाबाद को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है।

गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान समाज को नशा और अपराध से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है पुलिस प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों को संयुक्त प्रयास से युवाओं को जागरूक कर एक सुरक्षित और स्वस्थ गाजियाबाद का निर्माण किया जा रहा है।